उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर बनाम विनोद कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 17/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/20

प्रार्थी :

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर

बनाम

अप्रार्थी :

1. विनोद कुमार पुत्र हिम्मतमल जैन पेचका गली तखतगढ़
2. पवन कुमार पुत्र विमल कुमार जैन गुजराती कटला, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला ... बाली (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

**–:निर्णयः–**

दिनांक: 27.05.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 08.02.2015 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर श्री विमलेन्द्र राणावत तहसीलदार सुमेरपुर एवं श्री भंवरसिंह पटवारी तखतगढ़ द्वारा तखतगढ़ ग्राम में पिचके के सामने स्थित भैरव भवन का मौका जांच किया गया। मौके पर तखतगढ़ पेचका गली निवासी विनोदकुमार पुत्र हिम्मतमल कौम जैन द्वारा अपने पुत्र का विवाह समारोह आयोजित था। इस आयोजन में भोजन एवं मिष्ठान कार्य हेतु चार चुल्हों पर चार घरेलु गैस सिलेण्डर लगे हुए थे तथा कुछ सिलेण्डर आवश्यकतानुसार उपयोग हेतु रखे हुए थे। विवाह प्रयोजक विनोद कुमार से घरेलु गैस सिलेण्डर इण्डेन के उपयोग करने के बारे में जानकारी चाही गई तो श्री विनोद कुमार द्वारा बताया गया कि इस समारोह में खाने की व्यवस्था का ठेका श्री पवन कुमार निवासी पाली को दे रखा है तथा गैस सिलेण्डर एवं अन्य भोजन संबंधी व्यवस्था भी उसी ठेकेदार श्री पवन कुमार द्वारा की गयी है। श्री पवन कुमार के बारे में जानकारी चाही जाने पर प्रायोजक द्वारा बताया गया कि वह सिर्फ उसका नाम व फोन नम्बर ही जानता है। काम कर रहे कामगारों द्वारा भी कोई भी जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया। श्री विनोद कुमार से पवन कुमार के मोबाईल न. 9413065134 लेकर बात की गई तो पवन कुमार द्वारा इन सिलेण्डरों की वैधता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई एवं स्वयं को बाहर होना बताया तथा उपस्थित होने में असमर्थता जताई। इस पर मौके पर मौजुद सिलेण्डरों की जांच की गई जिस पर दस सिलेण्डर इण्डने कम्पनी के सीळ्ड (भरे हुए), चार खुले चालु हालात में तथा एक खाली कुल पन्द्रह सिलेण्डर बरामद किये गये।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध रुप से व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर मौके कांटे से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पायी गयी:–

| क्र.स. | नाम | कम्पनी | भरे हुए सिलेण्डर का वजन | खाली सिलेण्डर का वजन | गैस का वजन | सिलेण्डर नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 29.700 | 15.700 | 14 | 113194 |
| 2. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 30.300 | 16.100 | 14.2 | 135452 |
| 3. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 30.000 | 15.800 | 14.2 | 229042 |
| 4. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 29.300 | 15.800 | 13.5 | 827233 |
| 5. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 29.500 | 15.400 | 14.1 | 961690 |
| 6. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 29.700 | 15.600 | 14.1 | 283825 |
| 7. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 29.200 | 15.800 | 13.4 | 757966 |

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर बनाम विनोद कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 30.000 | 15.800 | 14.2 | 835615 |
| 9. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 29.900 | 15.400 | 14.5 | 325080 |
| 10. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 29.500 | 15.400 | 14.1 | 366050 |
| 11. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 24.500 | 15.800 | 8.7 | 701768 |
| 12. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 25.200 | 15.500 | 9.7 | 961385 |
| 13. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 26.600 | 15.800 | 10.8 | 326090 |
| 14. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 27.200 | 16.200 | 11 | 9667 |
| 15. | घरेलु गैस सिलेण्डर | इण्डेन | 27.200 | 15.500 | 11.7 | 913450 |

उक्त कुल 15 घरेलु गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के अवैध रुप से व्यवसायिक उपयोग में लेते हुए पाये जाने के फलस्वरुप मौके पर उपस्थित मौतबिरान श्री नाथुराम पुत्र छोगाराम एवं जोगाराम के कब्जा लिया जाकर तखतगढ गैस सर्विस के व्यवस्थापक श्री दलपतसिंह पुत्र अखेसिंह को बुलवाकर सुपुर्द किये गये। प्रयोजक श्री विनोद कुमार एवं ठेकेदार के कामगारों द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया।

इस प्रकार श्री विनोद कुमार पुत्र हिम्मतमल जैन, पेचका गली, तखतगढ़ व श्री पवनकुमार पुत्र विमल कुमार जैन, गुजराती कटला, पाली ने घरेलु गैस सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग में लेकर द्रवित पेट्रेलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 ए, सी. की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 15 (पन्द्रह) घरेलु गैस सिलण्डेरों का राज्यसात कराने के आदेश करावें।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022/ दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। चुंकि प्रायोजक विनोद कुमार ने उक्त समारोह में गैस सिलेण्डर की व्यवस्था का ठेका श्री पवनकुमार निवासी पाली को दिया था, जिससे अप्रार्थी पवन कुमार पुत्र विमल कुमार जैन गुजराती कटला, पाली को तलब किया गया। नियत दिनांक 18.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैनें व्यवसायिक गैस सिलेण्डर नहीं मिलने के कारण घरेलु गैस सिलेण्डर का प्रयोग किया व आगे से ऐसा कभी नहीं किया जाएगा तथा मेंरे द्वारा आगे से व्यवसायिक सिलेण्डर का ही प्रयोग किया जाएगा। अतः उक्त प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मेरी गलती स्वीकार करता हूं तथा उक्त प्रकरण को विड्रो करवाने की कृपा करावें। दौराने बहस प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं अतएव, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेज यथा मौका रिपोर्ट फर्द सुपुर्दगीनामा इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन तथा प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट पर मनन उपरान्त न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थी द्वारा भरे हुए एवं खाली गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से भण्डारण एवं संग्रहण किया जाना पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा Liquitied Petrolium Gas ( Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबंध 3(1)(c) की अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्तशुदा घरेलु व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर कुल संख्या 15 जिनका विवरण प्रार्थना पत्र में दर्ज तालिका अनुसार है, को राजसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित सारणी में वर्णणानुसार घरेलु एवं व्यवसायिक गैस सिलण्डरों का अवैध संग्रहण/भण्डारण एवं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर बनाम विनोद कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

अवैध व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तशुदा 15 घरेलु गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 A(a) के प्रावधानान्तर्गत तथा Liquitied Petrolium Gas ( Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना के कारण उक्त सभी 15 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि जब्तशुदा उपरोक्त 15 गैस सिलेण्डरों को मय् गैस सुपुर्ददार गैस एजेन्सी से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र F.8618/खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F.04(23)/खा.ले./नीति/6A/89 दिनांक 16.11.1999 के अनुरुप ही जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

क्रमांक/रसद वि.प्र.स./17/2024/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. जिला रसद अधिकारी, पाली
2. प्रवर्तन निरीक्षक, सुमेरपुर
3. पवन कुमार पुत्र विमल कुमार जैन गुजराती कटला, पाली
4. तखतगढ़ गैस सर्विस (इण्डेन) शिव शक्ति कॉलोनी तखतगढ़ 306912

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner